

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं० सं०-४ / निदे० आ० वि० संघा० (वे० आ०)-१८१-०२/२०२६-५६

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-२०/०५/२०२६

विषय:-वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में प्रकाशन एवं मुद्रण मद में आवासीय विद्यालयों में नामांकन की प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों की छपाई, पैकेजिंग, लेमिनेटेड लिफाफा एवं सेलोटप की सिलिंग इत्यादी कार्य पर व्यय की गई कुल राशि ₹३,३०,०००/- (तीन लाख तीस हजार रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में प्रकाशन एवं मुद्रण मद में आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों की छपाई, पैकेजिंग, लेमिनेटेड लिफाफा एवं सेलोटप की सिलिंग इत्यादी कार्य पर व्यय की गई कुल राशि ₹३,३०,०००/- (तीन लाख तीस हजार रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

२-कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में आय व्यय शीर्ष माँग सं०-४४-२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण-२७७-शिक्षा-०००३-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष-०००३.१६०१-प्रकाशन एवं मुद्रण विपत्र कोड सं०-४४-२२२५०१२७७०००३ के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

३-इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

४-वित्त विभाग के पत्र सं०-२५६१ दिनांक-१७.०४.१९९८ तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

५-उक्त राशि का व्यय आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रश्न पत्रों की छपाई, पैकेजिंग, लेमिनेटेड लिफाफा एवं सेलोटप की सिलिंग इत्यादी कार्य के लिए किया जाएगा।

६-संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

७-आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

८- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

९- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।।

विश्वासभाजन,

निदेशक

ज्ञापांक-4/निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)-181-02/2026- 56 पटना, दिनांक -२०/०५/२०२६
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा,
बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी,
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग/उपनिदेशक(मु०), अनु० जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/
संबधित प्रमंडलीय आयुक्त/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा/आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं
अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक